न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 61/2018 अपील (RCMS/2018/00003)
पंजीयन दिनांक — 14.05.2018
निर्णय दिनांक — 08.04.2019

1. श्री रूपलाल पिता श्री डालचन्द मेनारिया, निवासी हनुमान जी के मंदिर के पीछे, चंदेरिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

— अपीलार्थी

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री संजय सेन — वकील अपीलान्ट
2. श्री नरेश जणवा — वकील रेस्पोडेंट

प्रकरण संख्या—05/2016, श्री रूपलाल मेनारिया में प्राधिकृत अधिकारी (सचिव), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 13.04.2018 के विरूद्ध अपील

निर्णय

दिनांक 08.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (सचिव), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या—05/2016, श्री रूपलाल मेनारिया में पारित आपत्ति निस्तारण दिनांक 13.04.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन नियम, 2012 के तहत राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—90ए की उपधारा—8 के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी भूमि के नियमितकरण एवं आवंटन नियम, 13(1)(2) के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में खातेदारों के अधिकारों के पर्यावसान हेतु स्वप्रेरणा से ग्राम चंदेरिया के खसरा नम्बर 149, 151, 152 व 152/189 कुल किता 4 रकबा 2.83 हैक्टेयर की लोक सूचना प्रारूप 13 नियम—13(2) में दिनांक 15.05.2017 को जारी की गई जिसका प्रकाशन दिनांक 17.05.2017 को राजस्थान पत्रिका में हुआ।

- लोक सूचना के प्रकाशन होने पर उक्त आराजी के संबंध में एक आपत्ति श्री रूपलाल पिता डालचन्द मेनारिया (अपीलान्ट) द्वारा प्रस्तुत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- श्री रूपलाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर रेस्पाडेंट नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलान्ट का पक्ष सुना जाकर आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 13.04.2018 पारित किया गया एवं कथन किया कि ''इस योजना में स्वप्रेरणा से कार्यवाही करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–ए की कार्यवाही एवं प्रावधानों के तहत नियमन की कार्यवाही की जाना विधि सम्मत है। आपत्तिकर्ता द्वारा किसी प्रकार के ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे प्रकरण में कार्यवाही रोकी जाकर आवेदन निरस्त करना अपेक्षित है। निष्कर्षतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है। योजना में नियमन के संबंध में आगामी कार्यवाही की जावें।''

प्राधिकृत अधिकारी (सचिव), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 13.04.2018 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, अपीलार्थी स्वयं उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 01.04.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात/सम्पत्ति का प्लान दिनांक 09.10.1992 से एप्रुव है और रेस्पोडेंट की भी उसी प्लान अनुसार ही भूमि की 90–ए की कार्यवाही कर पट्टे जारी करने होते है, बावजुद इसके रेस्पोडेंट दिनांक 09.10.1992 को एप्रुव प्लान में बदलाव कर लोगों को अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहूंचाकर रोड़ पर बनाये गये मकानों को रेगुलाईज करने पर आमादा है जबकि विधि में विधि अनुसार रोड़ की भूमि एवं आम सुविधाओं की भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती है और न ही रोड़ पर बनाये हुए निर्माण को या अतिक्रमण को ही नियमन किया जा सकता है, बावजुद इसके उक्त विधिक प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की आपत्ति खारिज कर दी। अंत में अपील अपीलान्ट को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आपत्ति निर्णय दिनांक 13.04.2018 के निर्णय को निरस्त फरमाये जानें का अनुरोध किया एवं आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर एप्रुव प्लान के अनुसार नियमन की एवं 90–ए की कार्यवाही किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (सचिव), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया एवं सभी तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का विश्लेषण कर अपीलान्ट द्वारा पारित आपत्ति को निरस्त किया। अधीनस्थ न्यायालय का आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 13.04.2018 पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन नियम, 2012 के तहत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–90ए की उपधारा–8 के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी भूमि के नियमितकरण एवं आवंटन नियम, 13(1)(2) के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में खातेदारों के अधिकारों के पर्यावसान हेतु स्वप्रेरणा से ग्राम चंदेरिया के खसरा नम्बर 149, 151, 152 व 152/189 कुल किता 4 रकबा 2.83 हैक्टेयर की लोक सूचना प्रारूप 13 नियम–13(2) में दिनांक 15.05.2017 को जारी की गई जिसका प्रकाशन दिनांक 17.05.2017 को राजस्थान पत्रिका में हुआ। अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जिसे प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ ने निरस्त कर दी।

प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त आराजीयात में सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–90ए के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील इस स्तर पोषणीय नहीं है। प्रकरण में धारा–90ए की कार्यवाही की जाने उपरान्त अपील प्रस्तुत की जानी होती है, प्रस्तुत अपील प्रीमेच्योर है एवं अंतरिम स्तर पर अपील ग्राह्य योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज/अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी, प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा–90ए के आदेश किये जाने पर नियमानुसार अपील प्रस्तुत करें।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official